किस्म मुकदमाः— धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

नम्बरः— 01 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अरूण माली बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी फलौदी)	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/2/24	अपीलार्थी अरूण माली, निवासी मालियों का बास, फकीरो का तकिया, नयापुरा फलौदी, जिला फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2023 में उसके द्वारा (1) सवाई उर्फ सयीराम को वर्ष 2023 में आज दिन तक सीआरपीसी की धारा 107,116 व 151 में पाबंद किये गये सम्पूर्ण इस्तगासा की प्रमाणित प्रतियों से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलौदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलौदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलांट द्वारा कार्यालय समय में उपस्थित होकर जनरल रूल्स 213 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते है। तथा माननीय राज्य सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के निर्णय दिनांक 19.11.2022 की प्रति भी पेश की। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान सूचना आयोग के माननीय आयुक्त द्वारा श्रीमान दुर्गाराम बनाम उपखण्ड अधिकारी अपील संख्या CIC/JODH/A/2019/109681 में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि जहॉं पर प्रतिलिपि उपलब्ध करनो में संबध में नियमानुसार के तहत निर्धारित की हुई है। ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार 2005 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलांट उपखण्ड कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है। अक्त विवेचना अनुसार अपील प्रार्थी अस्वीकार की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था होने की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त होने से निरस्त की जाती है आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। जिला कलक्टर फलौदी	